

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244252
SG-DL-E-10032023-244252असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2023/फाल्गुन 19, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 513
No. 73]	DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2023/PHALGUNA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 513

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2023

स. फा 14(69)/एलए-२०२०/dsadvise/103-111.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2023 को मिली सहमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, २०२३
(२०२३ का दिल्ली अधिनियम ०३)

4 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[9th March, 2023]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 का पुनः संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ — (1) इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह उप-राज्यपाल द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

2 धारा 3 का संशोधन :-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) (इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 3 में -

(क) उपधारा (1) में “बीस हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “साठ हजार रुपये” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में “एक हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “एक हजार पांच सौ रुपये” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में “अठारह हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “तीस हजार रुपये” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) उपधारा (4) में “पचास हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “एक लाख रुपये” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ङ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा; अर्थात्-

“(5) प्रत्येक कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप प्रत्येक मंत्री को लैपटॉप, व्यक्तिगत कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल हैंडसेट इत्यादि की खरीद हेतु एकबारगी भत्ते के रूप में कुल एक लाख रुपये भुगतान किया जाएगा।

(6) प्रत्येक मंत्री को सचिवीय सहायता के रूप में प्रति माह कुल पच्चीस हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।”

3. धारा 4 का संशोधन :-मूल अधिनियम की धारा 4 में “चार हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपये” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

4. धारा 6 का संशोधन :-

(i) उपधारा (4) में “दो हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “दस हजार रुपये” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उपधारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जाएगा; अर्थात्-

“(5) एक मंत्री सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के भीतर एक वाहन की खरीद हेतु बारह लाख रुपये तक का प्रतिदेय अग्रिम वाहन राशि लेने के लिए पात्र होगा।

(6) उपधारा 5 में संदर्भित अग्रिम हेतु ब्याज दर तथा उसकी वसूली का तरीका राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।”

भरत पाराशर, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2023

F. 14(69)/LA-2020/dsadvise/103-111—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 14th February, 2023 and is hereby published for general information:-

“THE MINISTERS OF THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) ACT, 2023”

(DELHI ACT NO. 03 OF 2023)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4th July, 2022).

[9th March, 2023]

An Act further to amend the Ministers of the Government of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement. - (1) This Act may be called the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 3. - In the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994, (Delhi Act 8 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act), in section 3,-

- (a) in sub-section (1), for the words “*twenty thousand rupees*”, the words “*sixty thousand rupees*” shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the words “*one thousand rupees*”, the words “*one thousand five hundred rupees*” shall be substituted;
- (c) in sub-section (3), for the words “*eighteen thousand rupees*”, the words “*thirty thousand rupees*” shall be substituted;
- (d) in sub-section (4), for the words “*fifty thousand rupees*”, the words “*one lakh rupees*” shall be substituted;
- (e) after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely; -
 - “(5) *There shall be paid to each Minister a sum of rupees one lakh as one time allowance for purchase of laptop, personal computer, printer, mobile handset etc. for each term of office as a Member.*
 - “(6) *There shall be paid to each Minister a sum of rupees twenty five thousand per month as secretarial assistance.*”

3. **Amendment of section 4.** –In the principal Act, in section 4, for the words “*four thousand rupees*” the words “*ten thousand rupees*” shall be substituted.

4. **Amendment of section 6.-**

- (i) In sub-section (4), for the words “*rupees two thousand rupees*”, the words “*rupees ten thousand*” shall be substituted
- (ii) After sub-section (4) the following sub-sections shall be inserted. –
 - “(5) A Minister shall be entitled to a conveyance advance up to twelve lakh rupees for purchase of conveyance to be repayable within his term as a Member.
 - (6) The rate of interest for the advance referred to in sub-section (5) and the mode of recovery thereon shall be such as may be determined by the Government, with the prior approval of the President.”

BHARAT PARASHAR, Principal Secy. (Law, Justice & Legislative Affairs)